तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 189/2019(जी.सी.एम.एस. नंबर 2019/00351) बअनवान भैरूसिंह बनाम बाबुलाल इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

भैरूसिंह

बनाम

बाबुलाल इत्यादि

आदेश

दिनांक 15 जनवरी 2025

उपस्थिति

1. श्री रोशनलाल अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक व दो
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. सं. सत्रह

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर बाप के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 42/2019 अनवान बाबुलाल व अन्य बनाम भैरूसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 15 मई 2019 के विरूद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 02 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। तत्पश्चात विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्ष की अपील पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलार्थीगण विवादित भूमि के रेकर्डेड खातेदार है। माननीय राजस्व मण्डल एवं उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 189/2019(जी.सी.एम.एस. नंबर 2019/00351) बअनवान भैरूसिंह बनाम बाबुलाल इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सिद्धांतों के अनुसार खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रत्यर्थी संख्या एक व दो स्वच्छ हाथों से विचारण न्यायालय के समक्ष नहीं आये है। इससे पूर्व भी प्रत्यर्थी संख्या चौदह से सोलह द्वारा भी एक वाद वास्ते बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या एक व दो पक्षकार है, जिस कारण उन्हें नया वाद लाने का कोई अधिकार नहीं है। पूर्व वाद लंबित है, जिसमें स्थगन लिया गया था, जो माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किये जाने के पश्चात आदेश 39 सीपीसी के आज्ञापक प्रावधानों की पालना में न तो नोटिस जारी किये गये एवं न ही पुनः नोटिस प्रस्तुत किये गये। रेस्पोडेंट्स अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलंदाजी पैदा कर रहे है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति अपीलांट के पक्ष में है। अपीलाधीन आदेश के प्रभाव से अपीलार्थी को उनकी कब्जा काश्त सुदा भूमि के उपयोग उपभोग करने में बाधाएं हो रही है, जिससे अपीलार्थी को अपनी भूमि का प्रबंध नहीं कर पा रहा है। इस कारण अपीलार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की समय पर जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 06.11.2019 को अपीलांट द्वारा मौके पर निर्माण कार्य शुरू करवाये जाने पर रेस्पोडेंट संख्या एक व दो की ओर से धमकी दिये जाने एवं अपीलाधीन आदेश का जिक्र किया गया। तब दिनांक 18.11.2019 को नकल हेतु आवेदन करने एवं दिनांक 20.11.2019 को नकल प्राप्त होने

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पर सर्वप्रथम जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलांट को कोई जानकारी नहीं थी।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15 मई 2019 को अपास्त किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्तागण ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट्स की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जो अदालत हाजा के समक्ष पोषणीय नहीं है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 291/5 रकबा 2.16 बीघा में सें 10 बिस्वा भूमि का सद्भाविक क्रेता एवं के रेकर्डेड सहखातेदार है। विचारा न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है। अपीलांट का कथन है कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में पूर्व से ही वाद विचाराधीन है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर ध्यान दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना प्रतीत होता है। कानूनन रेकर्डेड सहखातेदारान् के विरुद्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 189/2019(जी.सी.एम.एस. नंबर 2019/00351) बअनवान भैरुसिंह बनाम बाबुलाल इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नही पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध है। मामला अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। लिहाजा मामले के विधिसम्मत निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाना न्यायोचित रहेगा।

लिहाजा उपरोक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर गुणावगुण पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15 मई 2019 को निरस्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दो माह की अवधि में विधिसम्मत निस्तारण करे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर